



भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार
(पशुपालन और डेयरी विभाग)

एनआईएडब्ल्यू परिसर, 42 मील पत्थर,

राष्ट्रीय राजमार्ग-2, बल्लभगढ़, हरियाणा -121004

ई-मेल: animalwelfareboard@gmail.com वेबसाइट: www.awbi.in

बोर्ड की मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन

1. संगठन का नाम :
2. संगठन का पता :
(पिन कोड के साथ) :
3. संपर्क संबंधी विवरण :
 - (क) एसटीडी कोड के साथ फोन नं. :
 - (ख) मोबाइल नं. :
 - (ग) ह्याटसएप नं. :
 - (घ) ई-मेल आईडी :
4. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम/
भारतीय न्यास अधिनियम/सहकारी
समितियां अधिनियम/गौसेवा आयोग
आदि के अंतर्गत पंजीकरण सं. :
5. नीति आयोग द्वारा जारी यूनिफ आईडी सं., यदि है :
6. प्रबंध समिति के सदस्यों के आधार नं. :
(प्रबंध समिति/कार्यकारी समिति/शासी समिति
के सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोप्रति संलग्न करें)
7. बैंक खाता के विवरण लिखें :
साथ ही बैंक का नाम/ शाखा का पता और
आईएफएससी कोड का उल्लेख करें
8. आश्रय दिए गए पशुओं की संख्या संबंधी :
विस्तृत जानकारी का उल्लेख करें:
9. संगठन द्वारा अनुरक्षित मौजूदा आश्रय गृह, यदि है, का ब्यौरा दें :
10. संगठन द्वारा अनुरक्षित एम्बुलेंस या ट्रैक्टर ट्राली, यदि है, का ब्यौरा दें :
11. व्यय के स्रोत की जानकारी दें :
12. संगठन द्वारा किए जाने वाले पशु कल्याण संबंधी कार्यकलापों की संक्षिप्त जानकारी दें :
13. सम्माननीय अवैतनिक जिला पशु कल्याण अधिकारी/सदस्य:
एसपीसीए/जिला पशुपालन विभाग के अधिकारी/सम्माननीय
राज्य पशु कल्याण अधिकारी/बोर्ड के सदस्य की ओर से संस्तुति

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हुए घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई उपर्युक्त जानकारी और दस्तावेज मेरे सर्वोच्च ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और यथातथ्य हैं और उसमें कोई भी वास्तविक तथ्य छिपाए नहीं गए हैं।

हस्ताक्षर
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम:
पदनाम और संगठन की मोहर:

उपर्युक्त प्रपत्र ऑनलाइन भेजने के उपरांत निम्नलिखित अभिप्रमाणित दस्तावेज/सूचना बोर्ड को उपर्युक्त आवेदन करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर भेजी जानी होगी।

1. पंजीकरण और आवेदन शुल्क के तौर पर गौशाला की मान्यता के लिए 1100/- रूपये एवं पशु कल्याण संगठन (AWO) की मान्यता के लिए 5000 रूपये की धनराशि जो चेक/पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से "भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड" के पक्ष में बल्लभगढ़ में संदेय हो।
2. संगठन के प्रबंधन के मौजूदा पदाधिकारियों के बारे में जानकारी और उनके आधार कार्ड की फोटोप्रतियां।
3. संगठन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र सहित उसके उप-नियम, नियम और विनियमों की अभिप्रमाणित प्रति
4. आय कर अधिनियम की धारा 80 जी के अंतर्गत छूट की जानकारी, यदि है
5. एफसीआरए के अधीन पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति, यदि है
6. संगठन के कर्मचारियों के ब्यौरे, अर्थात् उनके नाम, पारिश्रमिक, पदनाम आदि
7. संगठन द्वारा धारित या पट्टे पर ली गई संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, यदि हैं
8. विगत 3 वर्षों के लिए संगठन के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं और आयकर विवरणियों की प्रतियां
9. कोई अन्य दस्तावेज, यदि आवश्यक समझें
यदि उपर्युक्त में से कोई दस्तावेज क्षेत्रीय भाषा में है तो उसका हिंदी/अंग्रेजी भाषा में रूपान्तरण भेजना जरूरी होगा।
10. आवेदन निम्नलिखित में से किसी एक की संस्तुत के साथ प्रस्तुत किया जाए

सम्माननीय जिला पशुपालन अधिकारी/सदस्य एसपीसीए/जिला पशुपालन विभाग के अधिकारी/
सम्माननीय राज्य पशु कल्याण अधिकारी/ भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड का सदस्य।

*नोट: **AWO का पंजीकरण हर पांच साल के बाद नवीनीकृत किया जाना है।**